



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29082025-265794
CG-DL-E-29082025-265794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3856]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2025/भाद्र 7, 1947

No. 3856]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2025/BHADRA 7, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2025

का.आ. 3961(अ).—भारत सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24), जिसे रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया गया है, की धारा 20 ए (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य के ग्राम फुलवरिया एवं इन्दुपुर, तहसील: सदर, जिला: वाराणसी में “विशेष रेलवे परियोजना” वाराणसी और शिवपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण (5.83 कि.मी.) उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

कोई भी व्यक्ति जो उक्त भूमि में रुचि रखता है, वह इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी की उप-धारा (1) के अनुसार, उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के अधिग्रहण के संबंध में आपत्ति दर्ज कर सकता है।

प्रत्येक आपत्ति को सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, और उसमें आपत्ति के आधार और आपत्तिकर्ता की भूमि में रुचि का उल्लेख किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता का व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से सुने जाने का अवसर देगा, और सभी आपत्तियों को सुनने और आवश्यक समझने पर, कोई अतिरिक्त जांच करने के बाद, आदेश द्वारा, या तो आपत्तियों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर सकता है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 डी की उप-धारा (II) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के संबंध में भूमि योजनाएं और अन्य विवरण रुचि रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है।

अनुसूची					
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में विशेष रेलवे परियोजना, 'वाराणसी और शिवपुर के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण (5.83 कि.मी.)" उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के लिए ग्राम फुलवरिया एवं इन्दुपुर, तहसील: सदर, जिला: वाराणसी के अंदर संरचना सहित या उसके बिना आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:					
क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	वाराणसी	सदर	इन्द्रपुर		
1				433	0.0095
2				429	0.1164
3				414	0.0622
4				398	0.0082
5				431	0.1050
6				430	0.5810
7				349	0.3770
8				396	0.7050
9				432	0.0030
10				397	0.0040
			कुल		1.9713

क्र.सं.	जिला का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	सर्वे/खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	वाराणसी	सदर	फुलवरिया		
1				1	0.1609
2				173	0.0011
3				207	0.2020
			कुल		0.3640

[फा. सं. 190—W/Land/Varanasi-Shivpur]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण—II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railways (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2025

S.O. 3961(E).—The Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 20A (1) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), as amended by the Railways (Amendment) Act, 2008, hereby declares its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed hereto for the public purpose, namely for the execution, maintenance, management, and operation of the Special Railway Project, "Construction of 3rd Railway Line between Varanasi-Shivpur (5.83) in Lucknow division of Northern Railway" in village Phulwariya & Indrapur of Tehsil Sadar

in district Varanasi of Uttar Pradesh state required for the Special Railway Project, ".

Any person interested in the said land may, within 30 days from the date of publication of this notification, object to the acquisition of the land for the purposes mentioned above, as provided under sub-section (I) of Section 20D of the Railways Act, 1989.

Every objection shall be made to the competent authority, namely the Special Land Acquisition Officer, District Varanasi, Uttar Pradesh, in writing, and shall state the grounds of objection and the interest of the objector in the land. The competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as it thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of Section 20D of the Railways Act, 1989 shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available in the office of the competent authority for inspection by the interested persons.

SCHEDULE					
A brief description of the land in village Phulwariya & Inderpur of Tehsil Sadar in district Varanasi of Uttar Pradesh state required for the Special Railway Project, "Construction of 3rd Railway Line between Varanasi-Shivpur (5.83) in Lucknow division of Northern Railway."					
Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Varanasi	Sadar	Indrapur		
1				433	0.0095
2				429	0.1164
3				414	0.0622
4				398	0.0082
5				431	0.1050
6				430	0.5810
7				349	0.3770
8				396	0.7050
9				432	0.0030
10				397	0.0040
				TOTAL	1.9713

Sr. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Survey/Khasra No.	Area (in Hectares)
1	Varanasi	Sadar	Phulwariya		
1				1	0.1609
2				173	0.0011
3				207	0.2020
				TOTAL	0.3640

[F. No. 190-W/Land/Varanasi-Shivpur]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Construction-II